FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा कैम्प बाला

वादी **बनाम** **प्रतिवादी**

उम्मेद सिंह सुमेर सिह

किस्म मुकदमा राजस्व वाद संख्या–115/2021
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर वा तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
23.10.2021	प्रार्थी उम्मेद सिंह पुत्र शंकरलाल जाति विश्नोई निवासी मतवालों की ढाणी बालतहसील बिलाड़ा ने राजस्व शिविर कैम्प बाला में धारा–88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट का आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बाला तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 123 रकबा 4.6679 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 243 रकबा 0.0405 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 244 रकबा 8.0172 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 38 रकबा 18.9387 हैक्टैयर तथा इसी प्रकार ग्राम मतवालों की ढाणी बाला के खसरा नम्बर 115 रकबा 6.1160 हैक्टेयर संयुक्त खातेदारी की आयी हुयी है। उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि वादी के पिता शंकरलाल पुत्र तेजाराम की थी। शंकरलाल का देहान्त दिनांक 28.12.2001 में हो गया, उनके देहान्त का फौतेदगो नामांन्तकरण स्वीकृत किया गया उसमें प्रार्थी का नाम उम्मेद सिंह के बजाय पपाराम तथा सुमेर सिंह के बजाय सुमेरराम एवं समुदेवी के बजाय समुडी लिख दिया गया जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम उम्मेदसिंह तथा अप्रार्थी सुमेरसिंह, समुदेवी है तथा सरकारी दस्तावेज भी उम्मेदसिह, सुमेरसिह तथा समुदेवी के नाम से जारी किये हुए है अन्त में निवेदन किया कि संयुक्त खातेदारी भूमि में पपाराम पुत्र शंकरराम के स्थान पर उम्मेदसिंह पुत्र शंकरलाल तथा सुमेरराम पुत्र शंकरराम के स्थान पर सुमेरसिंह पुत्र शंकरलाल एवं समुडी पत्नी शंकरराम के स्थान पर समुदेवी पत्नी शंकरलाल की खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जावे। वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी उम्मेदसिंह ने अपने वाद के समर्थन में अपने स्वयं के बयान दर्ज करवाये। तथा प्रतिवादी सुमेरसिंह तथा समुदेवी के बयान कलमबद्ध कराये गये। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के तौर पर वादी उम्मेदसिह के आधारकार्ड, पहचान पत्र, पेनकार्ड,राशनकार्ड, तथा प्र[illegible], पहचान पत्र, पेनकार्ड, राशनकार्ड, तथा प्रतिवादी समुदेवी [illegible]कार्ड, पहचान पत्र, राशनकार्ड आदि पेश किये [illegible] पर कार्यालय ग्राम पंचायत बा[illegible] प्रमाण पत्र को पेश किया है। वादी ने [illegible] मृत्यु प्रमाण पत्र को पेश किया है। तहसीलदार बिलाड़ा से उपरोक्त [illegible]क्त खातेदारी भूमि का जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया, जिसकी पालना में तहसीलदार बिलाड़ा नें जवाब पेश किया, जो जवाब को शामिल पत्रावली कराया गया। वादी तथा प्रतिवादी ने मजमा आम में निवेदन किया कि हमारा नाम	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 15:58:07 IST
Reason: SelfAttested

	उपरोक्त संयुक्त खातेदारी भूमि में पपाराम, सुमेरराम, समुडी गलत लिख दिया गया है, गलत प्रविष्टि के कारण हमारा खाता में नाम अंकित नहीं हो रहा है। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। दस्वातेजों का अध्ययन करने से विदित होता है कि वादी का नाम उम्मेदसिंह के बजाय पपाराम, सुमेरसिंह के बजाय सुमेरराम, समुदेवी के बजाय समुडी दर्ज कर दिया गया है, जो एक त्रुटी है। उक्त वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है अतः ग्राम मतवालों की ढाणी बाला तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 123 रकबा 4.6679 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 243 रकबा 0.0405 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 244 रकबा 8.0172 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 38 रकबा 18.9387 हैक्टैयर तथा खसरा नम्बर 115 रकबा 6.1160 हैक्टेयर की संयुक्त खातेदारी भूमि में पपाराम पुत्र शंकरराम के स्थान पर उम्मेदसिंह पुत्र शंकरलाल तथा सुमेरराम पुत्र शंकरराम के स्थान पर सुमेरसिह पुत्र शंकरलाल एवं समुडी पत्नी शंकरराम के स्थान पर समुदेवी पत्नी शंकरलाल की खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जाती है। उक्तानुसार तहसीलदार बिलाड़ा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। इसी माफिक निर्णय का डिक्री पर्चा जारी हों, पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों। निर्णय प्रशासन गांव के संग अभियान कैम्प ग्राम बाला में खुले में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा	

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 15:58:07 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6—7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा कैम्प बाला

व इजलास भवानी सिंह, आर.ए.एस.

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादी**
उम्मेदसिह पुत्र शंकरलाल जाति विश्नोई निवासी मतवालों की ढाणी बाला तहसील बिलाड़ा		01 सुमेरसिंह पुत्र शंकरलाल 02 समुदेवी पत्नी शंकरलाल जातियान विश्नोई निवासी मतवालों की ढाणी बाला तहसील बिलाड़ा 03 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

राजस्व वाद संख्या :— 115/2021

निर्णय **दिनांक** :— 27.10.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी वादी स्वयं मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 2 स्वयं उपस्थित, प्रतिवादी संख्या 3 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पे"ा होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम ग्राम मतवालों की ढाणी बाला तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 123 रकबा 4.6679 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 243 रकबा 0.0405 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 244 रकबा 8.0172 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 38 रकबा 18.9387 हैक्टैयर तथा खसरा नम्बर 115 रकबा 6.1160 हैक्टेयर की संयुक्त खातेदारी भूमि में पपाराम पुत्र शंकरराम के स्थान पर उम्मेदसिंह पुत्र शंकरलाल तथा सुमेरराम पुत्र शंकरराम के स्थान पर सुमेरसिह पुत्र शंकरलाल एवं समुडी पत्नी शंकरराम के स्थान पर समुदेवी पत्नी शंकरलाल की खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जाती है। उक्तानुसार तहसीलदार बिलाड़ा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 15:58:07 IST
Reason: SelfAttested

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज — मुबलिग — बाबत् —

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 27.10.2021 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमि"नर			फीस कमि"नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 15:58:07 IST
Reason: SelfAttested